

कालातीत लीजों के नवीनीकरण के प्रकरणों में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण

सारणी - 12

क्रम सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 24 तक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०/ अन्य	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०/ अन्य
3.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	4	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
4.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5.	1,50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०
6.	डिजिटल मैप व सी०डी०	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०
7.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
8.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
9.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
10.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
11.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
12.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी/प्रस्तावक	जिलाधिकारी/उप खण्डीय समिति

13.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
14.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
15.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
16.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी/प्रस्तावक	जिलाधिकारी/प्रस्तावक
17.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
19.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन गय मानचित्र। (1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
20.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	36	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
21.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
22.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 है० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
23.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
24.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बड़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
25.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०

26.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक
27.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
28.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	---
29.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	49	प्रस्तावका / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावका / डी०एफ०ओ०